बिहार सरकार

वित्त विभाग

बजट 2014-15 के मुख्य आकर्षण

मदें		2011-12 वास्तविकी	2012-13 वास्तविकी	2013-14 बजट अनुमान	2014-15 बजट अनुमान	वर्ष 2014-15 राजस्व/ पूंजीगत के आय/व्यय का प्रतिशत	वर्ष 2013-14 बजट अनुमान से परिवर्त्तन
1		2	3	4	5	6	7
1	कुल राजस्व प्राप्तियाँ	**51320.18**	**59566.66**	**80066.47**	**101939.46**	**100.00**	**27.32**
2	कर राजस्व	**40547.33**	**48153.47**	**58943.68**	**67438.00**	**66.15**	**14.41**
	(क) संधीय करें में राज्य का अंश	27935.23	31900.39	37980.98	41775.05	61.95	9.99
	(ख) राज्य सरकार के कर-राजस्व	12612.10	16253.08	20962.70	25662.95	38.05	22.42
3	राज्य सरकार के कर भिन्न राजस्व	**889.86**	**1135.27**	**3416.08**	**3081.68**	**3.02**	**-9.79**
4	केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान	**9882.98**	**10277.92**	**17706.71**	**31419.78**	**30.82**	**77.45**
5	पूंजीगत प्राप्तियाँ (6+7+8)	**6725.88**	**9578.66**	**11832.69**	**14743.31**	**100.00**	**24.60**
6	(क) ऋणों की वसूली	22.51	24.70	13.28	15.97	0.11	20.26
	(ख) अर्न्तराज्यीय परिशोधन	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	लोक ऋण (7+8)	6627.96	9553.96	11819.41	14727.34	99.89	24.60
7	राज्य सरकार के आंतरिक ऋण	5801.39	9045.94	10393.36	12878.15	87.44	23.91
8	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	826.56	508.02	1426.05	1849.19	12.56	29.67
9	कुल प्राप्तियाँ (1+5)	**58046.05**	**69145.32**	**91899.16**	**116682.77**		**26.97**
10	आयोजना भिन्न व्यय	**37173.55**	**40825.41**	**53081.63**	**59231.04**	**100.00**	**11.58**
11	राजस्व खाते पर जिसमें	**34012.66**	**37573.69**	**49602.13**	**55426.51**	**93.58**	**11.74**
12	(क) ब्याज भुगतान	4303.66	4428.31	5887.97	6581.46	11.87	11.78
12	(ख) पेंशन	7808.45	8363.53	11274.04	11666.33	21.05	3.48
12	(ग) वेतन	11504.45	12874.38	16836.92	18204.75	32.84	8.12
13	पूंजीगत खाते पर (क+ख+ग़+घ+ड०)	**3160.59**	**3251.72**	**3479.50**	**3804.52**	**6.42**	**9.34**
	(क) राज्य का आन्तरिक ऋण	2456.98	2585.23	2660.13	2973.06	78.15	11.76
	(ख) केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	465.48	484.72	578.60	589.83	15.50	1.94
	(ग) पूंजीगत व्यय	39.59	93.15	149.33	151.00	3.97	1.12
	(घ) ऋण एवं पेशगियाँ	197.44	88.62	91.44	90.63	2.38	-0.89
	(ड०) अर्न्तराज्यीय परिशोधन	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	आयोजना व्यय	**23007.89**	**28381.16**	**39006.30**	**57655.12**	**100.00**	**47.81**
	(क) राज्य योजना	**20321.76**	**25658.59**	**34000.00**	**57392.44**	**99.54**	**68.80**
	(ख) के.प्र.यो.+के.यो.यो.	2686.13	2722.57	5006.30	262.68	0.46	-94.75
15	राजस्व खाते पर	12486.83	16892.45	23655.49	36338.92	63.03	53.62
16	पूंजीगत खाते पर	10521.06	11488.70	15350.81	21316.21	36.97	38.86
17	कुल व्यय (10+14)	**60181.43**	**69206.57**	**92087.93**	**116886.16**	**100.00**	**26.93**
18	राजस्व व्यय (11+15)	46499.49	54466.14	73257.62	91765.43	78.51	25.26
19	पूंजीगत व्यय (13+16)	13681.95	14740.42	18830.30	25120.73	21.49	33.41
20	राजस्व घाटा (18-1)	-4820.69	-5100.52	-6808.85	-10174.03		
21	राजकोषीय घाटा **{17-(1+6+13क+13ख)}**	5914.88	6545.26	8769.45	11367.84		
22	प्राथमिक घाटा (21-12क)	1611.22	2116.95	2881.48	4786.38		
23	जी.एस.डी.पी.	**252694.34**	**308639.60**	**314155.00**	**383709.00**		
24	राजकोषीय घाटा/ जी.एस.डी.पी.	2.31%	2.12%	2.79%	2.96%		
25	ब्याज भुगतान /कुल राजस्व प्राप्तियाँ	8.39%	7.43%	7.35%	6.46%		

- **राजस्व बचत :-** राजस्व प्राप्ति से राजस्व व्यय को घटाने के बाद अवशेष राशि राजस्व बचत होती है । वित्तीय वर्ष 2014-15 में राजस्व बचत 10174.03 करोड़ रूपये का है । इस राजस्व अधिशेष का उपयोग भौतिक अधिसंरचना में निवेश यथा सड़क, भवन, बिजली, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, सिंचाई योजनाएं आदि उत्पादक पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए किया जाएगा ।
- **राजकोषीय घाटा :-** कुल व्यय में से राजस्व प्राप्तियाँ, ऋणों की वसूली एवं ऋणों की वापसी को घटाने के पश्चात जो राशि घटती है उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है । वित्तीय वर्ष 2014-15 में राजकोषीय घाटा 11367.84 करोड़ रूपये का है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 383709.00 करोड़ रूपये का 2.96 प्रतिशत है ।
- **पूंजीगत परिव्यय :-** सम्पतियों के सृजन/सुदृढ़ीकरण पर जो राशि व्यय की जाती है वह पूंजीगत परिव्यय होती है । 2013-14 के बजट अनुमान 14197.20 करोड़ रू0 से बढ़कर 2014-15 के बजट अनुमान में पूंजीगत परिव्यय 21151.35 करोड़ रू0 हो गया है । यह 2013-14 के पूंजीगत परिव्यय से 6954.15 करोड़ रू0 अधिक है ।
- **ऋण प्रबंधन :-** बिहार राजकोषीय उत्तरदाायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के आलोक में राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत का रखा जाना है। राजकोषीय घाटे के अन्तर्गत ही ऋण लिया जाना होता है। ऋण की अधिसीमा भारत सरकार द्वारा तय की जाती है। वर्ष 2014-15 के लिए 11500.00 करोड़ रूपये शुद्ध ऋण प्राप्त करने का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया है । ऋण अधिसीमा के संदर्भ में राज्य सकल घरेलू उत्पाद 383709.00 करोड़ रूपये वित्त आयोग के अनुसार निर्धारित है जिसके आलोक में ही ऋण लिया जाना प्रस्तावित है । वर्ष 2014-15 के अन्त में लोक ऋण 77700.59 करोड़ रूपया अनुमानित है जो सकल घरेलू उत्पाद का 20.25 प्रतिशत है ।
- **राजकोषीय प्रबंधन :-** बिहार उन राज्यों में एक है जिसने राजकोषीय प्रबंधन को गंभीरतापूर्वक लिया है एवं एफ०आर०बी०एम० अधिनियम को सही मायने पर लागू किया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में राजकोषीय घाटा 2.96 प्रतिशत अनुमानित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए राजकोषीय घाटे की अधिसीमा 3 प्रतिशत

निर्धारित है । पुनरीक्षित अनुमान राजकोषीय घाटे का 6.88 प्रतिशत प्रदर्शित हो रहा है जो वर्ष के अन्त में होने वाले प्रत्यर्पण के पश्चात् 3 प्रतिशत की अधिसीमा में लाया जाएगा ।

- **निक्षेप निधि (Consolidated Sinking Fund) :-** राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 से एक निक्षेप निधि का गठन किया गया है जिससे ऋण के भुगतान के लिए राशि वैसे वर्षों में उपलब्ध हो सकेगी जिन वर्षों में ऋण भुगतान के लिए राज्य के पास राशि की उपलब्धता किसी कारण से नहीं हो। वर्ष 2012-13 के अन्त तक निवेशित राशि में प्राप्त ब्याज को जोड़ते हुए कुल 1028.47 करोड़ रूपये का निक्षेप निधि कोष बना है। वर्ष 2013-14 में राज्य सरकार द्वारा 436.27 करोड़ रूपये का निवेश किया जायेगा । इस प्रकार वर्ष 2013-14 के अन्त तक निक्षेप निधि कोष में कुल 1464.74 करोड़ रूपये उपलब्ध हो जाएगें । वर्ष 2014-15 में 430.00 करोड़ रूपये का बजट उपबंध निक्षेप निधि में निवेश के लिए किया गया है।

- **स्थानीय निकायों की बजट पुस्तिका :-** 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों को दी जाने वाली राशि के लिए एक अलग से बजट पुस्तिका प्रकाशित की गई है। उक्त पुस्तिका में स्थानीय निकायों को अनुदान की जो राशि उपलब्ध करायी जाती है उसे प्रदर्शित किया गया है। प्रत्येक जिला के स्थानीय निकाय को कितनी राशि अनुदान के रूप में दी जा रही है यह उक्त पुस्तिका में अंकित है ।

- **अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के लिए कर्णांकित राशि :-** वित्तीय वर्ष 2011-12 से यह व्यवस्था की गई है कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों पर व्यय होने वाली राशि को अलग से लघुशीर्ष में प्रदर्शित किया जाए ताकि उक्त राशि का व्यय अनुसूचित जातियों के समुदाय के सीधे लाभ के लिए ही किया जा सके और राशि को अन्यत्र व्यय नहीं किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2014-15 में इस मद में मुख्य शीर्ष 2225 एवं अन्य मुख्य शीर्षों के अधीन लघु शीर्ष 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अन्तर्गत कुल 8262.96 करोड़ रूपये की राशि प्रावधानित की गई है ।

अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल 499.56 करोड़ रूपये प्रावधानित की गई है जो कि मुख्य शीर्ष 2225 एवं अन्य मुख्य शीर्षों के अधीन लघु शीर्ष 796 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत प्रावधानित की गई है । विभागवार प्रावधानित की गयी राशि ''बजट का सार'' पुस्तिका के पृष्ठ 20 एवं 21 पर देखा जा सकता है ।

- **शिक्षा प्रक्षेत्र :-** वर्ष 2013-14 के 18280.78 करोड़ रू0 की तुलना में 2014-15 में 24715.19 करोड़ रू0 प्रस्तावित हैं जिसमें राज्य योजना में 12257.61 करोड़ रूपये एवं गैर-योजना मद में 12457.58 करोड़ रूपये प्रस्तावित है जो गत वर्ष के बजट प्रावधान की तुलना में 6434.41 करोड़ रूपये अधिक है ।

- **स्वास्थ्य प्रक्षेत्र :-** वर्ष 2013-14 में 3356.84 करोड़ रू0 की तुलना में 2014-15 में 4805.73 करोड़ रू0 प्रस्तावित हैं जिसमें राज्य योजना मद में 2411.78 करोड़ रूपये तथा गैर-योजना मद में 2393.95 करोड़ रूपये प्रस्तावित है जो गत वर्ष के बजट प्रावधान की तुलना में 1448.89 करोड़ रूपये अधिक है ।

- **सड़क प्रक्षेत्र** :- पथ निर्माण एवं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा सड़क प्रक्षेत्र में व्यय किए जाते हैं । इन विभागों में इस प्रक्षेत्र में वर्ष 2013-14 के 7208.42 करोड़ रू0 की तुलना में 2014-15 में 10190.90 करोड़ रूपये का व्यय अनुमानित है जिसमें सड़कों के रख-रखाव एवं मरम्मत मद में 1387.40 करोड़ रूपये अनुमानित है ।

- **कल्याण प्रक्षेत्र :-** वर्ष 2014-15 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण से संबंधित विभागों द्वारा राज्य योजना मद में 7387.66 करोड़ रूपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है । वर्ष 2013-14 में 4159.33 करोड़ रूपये की तुलना में वर्ष 2014-15 में 3228.33 करोड़ रूपये अधिक व्यय प्रस्तावित है ।

प्रमुख विभागवार योजना उद्व्यय केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं सहित (2014-15) इस प्रकार है:-

क्रम सं0	विभाग का नाम	योजना परिव्यय (करोड़ रू0)	प्रतिशत
1	शिक्षा	12257.61	21.36
2	ग्रामीण विकास	6492.35	11.31
3	समाज कल्याण	4591.75	8.00
4	ग्रामीण कार्य	4335.91	7.55
5	ऊर्जा	3189.92	5.56
6	स्वास्थ्य	2425.23	4.23
7	कृषि	2392.69	4.17
8	पंचायती राज	2355.35	4.10
9	योजना एवं विकास	2055.69	3.58
10	अन्य विभाग	17295.94	30.14
	योग	**57392.44**	100.00

राज्य योजना के अन्तर्गत प्रमुख विभागों का तुलनात्मक परिव्यय

(राशि करोड़ रूपये)

क्रम सं0	विभाग का नाम	**2013-14**	**2014-15**	**गत वर्ष की अपेक्षा**
		योजना परिव्यय	**योजना परिव्यय**	**प्रतिशत परिवर्तन**
1	शिक्षा	5197.71	12257.61	135.83
2	ग्रामीण विकास	1509.76	6492.35	330.03
3	समाज कल्याण	2360.99	4591.75	94.48
4	ग्रामीण कार्य	1736.91	4335.91	149.63
5	ऊर्जा	1790.68	3189.92	78.14
6	स्वास्थ्य	629.23	2425.23	285.43
7	कृषि	2176.75	2392.69	9.92
8	पंचायतीराज	1232.86	2355.35	91.05
9	योजना एवं विकास	1431.66	2055.69	43.59
10	अन्य विभाग	15933.45	17295.94	8.55
	योग	**34000.00**	**57392.44**	68.80

1. वित्तीय वर्ष 2014-15 का **कुल बजट अनुमान 116886.16 करोड़ रूपये** है जो वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान 92087.93 करोड़ रूपये से 24798.23 करोड़ रूपये (26.93 प्रतिशत) अधिक है ।

2. वित्तीय वर्ष 2014-15 में **गैर-योजना व्यय का बजट अनुमान 59231.04 करोड़ रूपये** है, जो वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान 53081.63 करोड़ रूपये से 6149.41 करोड़ रूपये अधिक है ।

3. वित्तीय वर्ष 2014-15 का **राज्य योजना का कुल बजट अनुमान 57392.44 करोड़ रूपये** है, जो वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान 34000.00 करोड़ रूपये से 23392.44 करोड़ रूपये अधिक है । राज्य योजना के कुल बजट अनुमान में अत्यधिक अन्तर होने का मुख्य कारण वर्ष 2014-15 से केन्द्र प्रायोजित योजना की केन्द्रांश राशि राज्य योजना के केन्द्रीय सहायता के रूप में मानी जा रही है। इसलिए इस मद में अप्रत्याशित वृद्धि है। अगर पुराने तरीके से गणना की जाय तो राज्य योजना का आकार 40100.00 करोड़ रूपये का होगा जो गत वर्ष से 17.94 प्रतिशत अधिक है ।

4. वित्तीय वर्ष 2014-15 में **केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिये 262.68 करोड़ रूपये** रखे गये हैं, जो वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान **290.87** करोड़ रूपये से 28.19 करोड़ रूपये कम है ।

5. वित्तीय वर्ष 2014-15 में **कुल पूंजीगत परिव्यय 21151.35 करोड़ रूपये** अनुमानित किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान 14197.20 करोड़ रूपये से 6954.15 करोड़ रूपये अधिक है ।

6. वित्तीय वर्ष 2014-15 में **कुल राजस्व प्राप्तियाँ 101939.46 करोड़ रूपये** अनुमानित है जो वित्तीय वर्ष 2013-14 के 80066.47 करोड़ रूपये से 27.32 प्रतिशत अधिक है ।

7. वित्तीय वर्ष 2014-15 में **राज्य के अपने श्रोतों से कर राजस्व के रूप में 25662.95 करोड़ रूपये** प्राप्त होने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान 20962.70 करोड़ रूपये की तुलना में 22.42 प्रतिशत अधिक है ।

8. वित्तीय वर्ष 2014-15 में **राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में 3081.68 करोड़ रूपये** प्राप्त होने का अनुमान है जिसमें झारखण्ड से 1500 करोड़ रूपये पेंशन मद में प्राप्त होने का अनुमान है जो वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान 3416.08 करोड़ रूपये की तुलना में 9.71 प्रतिशत कम है । कम अनुमान होने का कारण झारखण्ड राज्य से पेंशन मद में 500.00 करोड़ रूपये पूर्व वर्ष की तुलना में कम प्राप्ति होना है ।

9. वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य को केन्द्र सरकार से **केन्द्रीय करों में हिस्से के रूप में 41775.05 करोड़ रूपये** प्राप्त होने का अनुमान है जो वित्तीय वर्ष 2013-14 के पुनरीक्षित अनुमान 37980.98 करोड़ रूपये से 10 प्रतिशत अधिक है ।

10. वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य को केन्द्र सरकार से **सहायक अनुदान के रूप में 31419.78 करोड़ रूपये** प्राप्त होने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान **17706.71** करोड़ रूपये की तुलना में 77.45 प्रतिशत अधिक है । इस वृद्धि का मुख्य कारण भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना के लिए जो राशि क्रियान्वित करने वाले अभिकरणों को सीधे दी जाती थी वह राशि वर्ष 2014-15 से राज्य सरकार के बजट के माध्यम से व्यय होनी है ।

11. वित्तीय वर्ष 2014-15 में **गैर-योजना व्यय 59231.04 करोड़ रूपये एवं योजना व्यय 57655.12 करोड़ रूपये** का है जो वर्ष 2014-15 के कुल व्यय 116886.16 करोड़ रूपये का क्रमशः 50.67 और 49.33 प्रतिशत है ।

12. वित्तीय वर्ष 2014-15 में **राजस्व एवं पूंजीगत व्यय क्रमशः 91765.43 करोड़ रूपये एवं 25120.73 करोड़ रूपये** है जो कुल व्यय 116886.16 करोड़ रूपये का क्रमशः 78.51 एवं 21.49 प्रतिशत है ।

13. वित्तीय वर्ष 2014-15 में **विकासात्मक एवं गैर-विकासात्मक व्यय क्रमशः 82846.42 करोड़ रूपये एवं 34039.75 करोड़ रूपये** है जो कुल व्यय 116886.16 करोड़ रूपये का क्रमशः 70.88 एवं 29.12 प्रतिशत है ।

14. वित्तीय वर्ष 2014-15 में **10174.03 करोड़ रूपये राजस्व अधिशेष** रहने का अनुमान है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 383709 करोड़ रूपये का 2.65 प्रतिशत है ।

15. वित्तीय वर्ष 2014-15 में **11367.84 करोड़ रूपये राजकोषीय घाटा** रहने का अनुमान है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 383709 करोड़ रूपये का 2.96 प्रतिशत है ।

16. वित्तीय वर्ष 2014-15 में **लोक ऋण का अधिशेष 77700.59 करोड़ रूपये** रहने का अनुमान है जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद 383709 करोड़ रूपये का 20.25 प्रतिशत रहने का अनुमान है ।

2014-15 के बजट अनुमानः संक्षिप्त विवरण

- कुल व्यय : 116886.16 करोड़ रूपये

- कुल योजना व्यय : 57655.12 करोड़ रूपये
    - राज्य योजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना में केन्द्रीय सहायता सहित) : 57392.44 करोड़ रूपये
    - केन्द्रीय योजनागत योजना : 262.68 करोड़ रूपये

- कुल गैर योजना व्यय : 59231.04 करोड़ रूपये

- कुल प्राप्तियां : 116682.77 करोड़ रूपये

- राजस्व प्राप्तियां : 101939.46 करोड़ रूपये
  राज्य के कर राजस्व : 25662.95 करोड़ रूपये
  राज्य के गैर कर राजस्व : 3081.68 करोड़ रूपये
  केन्द्र सरकार से प्राप्त करों में हिस्सा : 41775.05 करोड़ रूपये
  केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान : 31419.78 करोड़ रूपये

- पूंजीगत प्राप्तियां (क+ख) : 14743.31 करोड़ रूपये
  (क) उधार : 14727.34 करोड़ रूपये
  (ख) कर्ज की वापसी : 15.97 करोड़ रूपये

- कुल व्यय (क+ख) : 116886.16 करोड़ रूपये
  (क) राजस्व व्यय : 91765.43 करोड़ रूपये
  (ख) पूंजीगत व्यय : 25120.73 करोड़ रूपये

- राजस्व बचत : 10174.03 करोड़ रूपये
  (जी०एस०डी०पी० का 2.65%)

- राजकोषीय घाटा : 11367.84 करोड़ रूपये
  (जी०एस०डी०पी० का 2.96%)

- **राज्य के कर राजस्व के विभिन्न स्त्रोत**
  वाणिज्यकर : 17100.00 करोड़ रूपये
  उत्पाद शुल्क : 3700.00 करोड़ रूपये
  स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क : 3600.00 करोड़ रूपये
  परिवहन कर : 1000.00 करोड़ रूपये
  भू-राजस्व : 250.00 करोड़ रूपये
  अन्य कर : 12.95 करोड़ रूपये

- राज्य के मुख्य गैर कर राजस्व के विभिन्न स्त्रोत
  झारखण्ड से दिनांक- 14.11.2000 के पूर्व
  सेवा निवृत कर्मियों के पेंशन मद में
  भुगतान की गयी राशि में हिस्सा : 1500.00 करोड़ रूपये

  खनन : 750.00 करोड़ रूपये
  सिंचाई : 30.00 करोड़ रूपये
  ब्याज प्राप्तियां : 202.22 करोड़ रूपये
  अन्य मदों में प्राप्तियाँ : 599.46 करोड़ रूपये

- **प्रतिबद्ध व्यय**
  (I) वेतन (क) गैर योजना मद में : 18204.75 करोड़ रूपये
  (ख) योजना मद में : 854.09 करोड़ रूपये
  (II) पेंशन : 11666.33 करोड़ रूपये
  (III) ब्याज भुगतान : 6581.46 करोड़ रूपये
  (IV) लोक ऋण अदायगी : 3562.90 करोड़ रूपये
  कुल (I+ II+ III+ IV) **: 40869.53 करोड़ रूपये**

============